क्रम सं.	विभाग का नाम	परिचालन/कार्य-क्षेत्र (संक्षिप्त में)
1.	क्रेडिट	नए प्रस्तावों का क्रेडिट मूल्यांकन, ऋणों का संवितरण, मानक मामलों का अनुवर्तन, कारोबार विकास, अवस्थापना और गैर-अवस्थापना परियोजनाओं से स्संबंधित दबावग्रस्त खातों की पुनर्संरचना आदि।
2.	अनुवर्तन व वसूली	अलाभकारी परिसम्पत्तियों और अनुद्धृत इक्विटी मामलों सम्बन्धी कार्य ।
3.	आशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज पद्धति (एम-सिप्स) सहित सलाहकारी	सलाहकारी व समूहीकरण क्रियाकलाप भारत सरकार ने आईएफसीआई को (पीएफआई होने के नाते) मई 2017 से एम-सिप्स योजना के अधीन प्रोत्साहन चाहने वालों के दावों के सत्यापन के लिए सत्यापन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया । यह योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रोनिक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजी व्यय के निवेश पर 20-25% की उप-सहायता प्रदान करती है । यह योजना 4 प्रकार की श्रेणियों में इलेक्टोनिक उत्पादों और उनके कम्पोनेंट्स हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन इकाइयों में कच्चे माल से लेकर पुर्जे जोड़ने की प्रक्रिया, परीक्षण और इन उत्पादों की पैकेजिंग तक की श्रेणियों को शामिल किया गया है ।
4.	एमआईएस	सूचनाओं को प्रबंधन अतार्थ, एकत्रण, रखरखाव, संग्रह व विश्लेषण। कम्पनी की विवरणियां को फ़ाइल कराना, अनुसंधान इत्यादि ।
5.	विधि	विधिक मामले - कारोबार प्रलेखन, दस्तावेजीकरण, प्रतिभूति सृजन, प्रभारों का विस्तार और विधिक लेखा-परीक्षा, कारोबारी मुकदमेबाजी, कॉर्पोरेट एडवोकेटों का एमपनेलमेंट, निगमित विधिक सलाहकारी सेवाएं, एनसीएलटी/ एनसीएलएटी तथा गैर- कारोबारी मुकदमेबाजी।
6.	समेकित जोखिम प्रबन्धन	ऋण जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, मापना, अनुवर्तन और ऋण जोखिमों का शमन करना ।
7.	मानव संसाधन	मानव शक्ति नियोजन, भर्ती, पुष्टिकरण, पदोन्नति,

		तैनातियां व स्थानान्तरण, प्रशिक्षण व विकास, कर्मचारी कल्याण योजनाएं, अवकाश गृह, चिकित्सा बीमा ।
8.	स्थापना	मासिक वेतन प्रसंस्करण, ऋण व अग्रिम, अवकाश किराया रियायत (एलएफसी), चिकित्सा बिल निपटान, कराधान, बीमांकक मूल्यांकन, पेंशन, ग्रेज्युटी तथा भविष्य निधि (पीएफ) प्रबन्धन ।
9.	सेवाएं	कैब प्रबन्धन, डाक प्रबन्धन, कर्मचारी सेवाएं, फोटोकापी मशीन रखरखाव आदि।
10.	आन्तरिक लेखा-परीक्षा	क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों की आन्तरिक लेखा-परीक्षा।
11.	समेकित खजाना व निवेश	म्युचुअल फंड निवेश, सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार, इक्विटी निवेश, विदेशी मुद्रा संचालन, आईपीओ विश्लेषण, वेंचर फंड निवेश व अनुवर्तन, निधियों का नियोजन।
12.	निगमित खाते व कराधान	आईएफसीआई के निगमित खाते, नकद व बैंक परिचालन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का अनुपालन।
13.	निगमित योजना	निगमित योजना, बजट, अनुसंधान आदि ।
14.	ऋण लेखांकन	परिसम्पत्ति वर्गीकरण, ऋण लेखांकन पोर्टफोलियो, अन्य व्ययों का प्रबंधन ।
15.	संसाधन	संसाधन जुटाना, ऋण शोधन, उधारों, सावधि ऋणों तथा वाणिज्यिक पत्रों की क्रेडिट रेटिंग ।
16.	सूचना प्रौद्योगिकी	आईटी अवस्थापना - हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, आईटी सेवाएं, आईटी सहायता, नेटवर्क प्रबन्धन, सॉफ्टवेयर विकास, इत्यादि ।
17.	कारपोरेट कम्युनिकेशन्स, राजभाषा, लोक शिकायतें, सामाजिक मीडिया प्रबन्धन	मीडिया कम्युनिकेशन/जन-सम्पर्क, राजभाषा के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा शासकीय प्रयोजनों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना ।
18.	मंत्रालयों से समन्वय	आवश्यकता के अनुसार सूचना प्रदान करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से समन्वय ।
19.	केन्द्रीयकृत खरीदफ्रोक्त	आईएफसीआई और इसकी सहायक कम्पनियों के लिए वस्तुओं, कार्यों, व सेवाओं का प्रबन्धन ।
20.	सम्पदा व सुरक्षा	कार्यालय परिसरों का प्रबन्धन, अचल सम्पदा, कर्मचारियों

		के लिये आवासी सुविधा आदि एवं परिसरों का सुरक्षा व्यवस्था प्रबन्धन ।
21.	चीनी विकास निधि (एसडीएफ), जेडीएफ व टीयूएफ	चीनी विकास निधि के अधीन भारत सरकार की ऋणों/सहायता के लिए नोडल एजेंसी । एसडीएफ मामलों का अनुवर्तन, नए ऋण प्रस्तावों की जांच, ऋण दस्तावेजीकरण, प्रतिभूति का सृजन तथा संवितरण की सिफारिश, एजेंसी कमीशन बिलों को जमा करना व शुल्क प्राप्त करना, एसडीएफ खातों का सीसीए के साथ मिलान, एसडीएफ ऋण खाता लेखांकन और एसडीएफ लेखा-परीक्षा समन्वय, एसडीएफ संबंधी एमआईएस ।
22.	सहायक व सहयोगी कम्पनियां	आईएफसीआई की सहायक व सहयोगी कम्पनियों से सम्बन्धित मामले देखना।
23.	निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन	सीएसआर परियोजनाएं जुटाना, मूल्यांकन, मंजूरी व अनुवर्तन, ब्रांड व छवि बनाना, संसाधन जुटाना तथा बाह्य हिस्सेदारों से समन्वय ।
24.	कम्पनी सचिव व अनुपालन	कम्पनी संबंधी विधिक मामले, सेबी द्वारा अपेक्षित अनुपालन तथा सूचीबद्धता करारों की देखभाल, निदेशक बोर्ड की कार्यकारी समितियों, आदि की बैठकों से सम्बन्धित सचिवीय कार्य व इक्विटी स्टेकहोल्डर्स की शिकायतों का निपटान । आरबीआई/सेबी, अन्य नियंत्रक निकायों तथा भारत सरकार को रिपोर्टें व विवरणियां भेजने सहित विभिन्न अनुपालनों का सुनिश्चित करना ।
25.	सीईजीएसएससी निधि	सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना आरम्भ की गई । आईएफसीआई इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है जिसके अंतरगर्त आईएफसीआई द्वारा अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लिए बैंकों को गारंटी प्रदान की जाती है ।
26.	सतर्कता	सतर्कता मामले
27.	आरटीआई	आरटीआई संबंधी कार्य ।